मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज

पत्रांकः मु0अ0अ0/एफएस/स्कूल/2020/

दिनॉक जनवरी, 14,2020

(5)

प्रबन्धक/आवेदक,
महर्षि विद्या मन्दिर,
दूरवाणी नगर, नैनी, प्रयागराज

विषयः– महर्षि विद्या मन्दिर दूरवाणी नगर नैनी, प्रयागराज में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– आवेदक के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में ।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रबन्धक/आवेदक महर्षि विद्या मन्दिर दूरवाणी नगर नैनी, प्रयागराज द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गयी है। स्कूल भवन में लगी अग्निशमन व्यवस्थाओं एंव उपकरणों का परीक्षण तथा निरीक्षण किया/कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है–

1– स्कूल भवन भूतल व प्रथम तल व द्वितीय तल व तृतीय तल तक निर्मित है।

2– स्कूल भवन के प्रत्येक तल पर प्राथमिक अग्निशमन उपकरण भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0–2190 के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाये गयें। जिसका निरीक्षण/परीक्षण शुल्क राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है।

3– भवन में एक्जिट साइनेज के चिन्ह व फायर स्टेशन का मो0 नं0 अकित किया गया हैं।

4– स्थल तक फायर सर्विस के वाहन आसानी से आ–जा सकते हैं।

5– स्कूल भवन के प्रत्येक तल पर एनबीसी 2016 मानक के अनुसार होजरील, लैण्डिंग वाल्व तथा होज कैबिनेट स्थापित किया गया है।

6– भवन की टेरिस पर 10.000 ली0 क्षमता का टेरिस टैंक व 450 एलपीएम क्षमता का टेरिस पम्प स्थापित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन व्यवस्थाओं/उपकरणों का फायर आडिट प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत किया जाता है ।

1– आवेदक/प्रबन्धक को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये में रखा जायें।

2– भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जायें।

3– किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4– भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अबिलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाय, अबिलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाये।

5– वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा, फायर प्रिवेन्शन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6– भवन स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक/आवेदक की होगी। तथा निर्गत किया जा रहा अग्निशमन प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

7– अग्निशमन प्रमाण–पत्र निर्गत तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

14/1/2020

(आर0एस0मिश्र)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
प्रयागराज।

Self attested

प्रतिलिपिः– अग्निशमन अधिकारी प्रयागराज को सूचनार्थ।